न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 129 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नरपत पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना		1. साजनराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी सांचोर जिला साचोर 2. जेठाराम पुत्र केसराराम 3. प्रभू पुत्र केसराराम 4. राजुराम पुत्र गंगाराम 5. शान्ति पत्नी गंगाराम 6. प्रकाश पुत्र गंगाराम जातियान मेगवाल निवासी धोरीमन्ना 7. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 05.03.2023

अधिवक्ता :– श्री जगदीश कुमार विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 20.03.2024

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खाता संख्या 153 खसरा नम्बर 1208/780 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा गुणेशाणियों की ढाणी पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थी की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी. खेतों के सेढ़ों के लेकर आपस में तनाजा एवं विवाद बना [illegible] है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थी की [illegible] पर [illegible] काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती [illegible] प्रार्थी अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर [?]

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा गुणेशाणियों की ढाणी पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का खातेदारी के खेत ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 1208/780 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्की नेखबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 06 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 20.03.2024 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा गुणेशाणियों की ढाणी पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 1208/780 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 05.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 1208/780 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किया गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत पास–पास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की मेंढ नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1208/780 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 153 के खसरा नम्बर 1208/780 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 1208/780 रकबा 0.04050 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक – 20.03.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner